



राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान,
चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

क्रमांक:- F 50 (2) NHM/QA/2016/ 253

दिनांक:- 7/4/17

बैठक कार्यवाही विवरण


प्रमुख शासन सचिव महोदया की अध्यक्षता में स्टेट क्वालिटी अशयोरेंस कमेटी की बैठक दिनांक 31.03.2017 को दोपहर 12.30 बजे कमरा नं. 311, निदेशालय, स्वास्थ्य भवन में रखी गयी। बैठक के अन्तर्गत समिति के सदस्यों द्वारा क्वालिटी अशयोरेंस प्रोग्राम को सुदृढ बनाने हेतु विभिन्न सुझाव दिए गये तथा अन्त मे समिति द्वारा आगामी वर्ष में प्रोग्राम के संचालन से संबन्धित निर्णय लिए गए। समिति के सहमति से लिए गए निर्णय बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

1. स्टेट हैल्थ सिस्टम एन्ड रिसोर्स सेंटर में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृत कन्सलटेंट की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराई जायें। स्वीकृत कन्सलटेंट की सेवाएँ क्वालिटी अशयोरेंस सैल को उपलब्ध करवाई जाये ताकि स्वास्थ्य संस्थानों की मॉनीटरिंग में निरन्तरता आये। (उत्तरदायित्व: एच.आर. विभाग)
2. जिला अस्पतालों से प्राप्त वित्तीय अनुमान, जो पी.आई.पी. 2017-18 में सम्मिलित होने से रह गये हैं। उन्हे राज्य कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट के माध्यम से क्रॉस चैक करवाकर वित्तीय वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट में सम्मिलित करवाये जाये। (उत्तरदायित्व: राज्य नोडल अधिकारी क्वालिटी अशयोरेंस एवं कन्सलटेंट क्वालिटी अशयोरेंस)
3. जिला अस्पतालों के प्रमुख सदस्यों (प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उपनियंत्रक एवं हैल्थ मैनेजर) के लिए राज्य स्तर पर IIHMR में तीन दिवसीय मोटीवेशनल ट्रेनिंग करवायी जाये। इस हेतु 5 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट में सम्मिलित करवाये जाये एवं विशिष्ट ट्रेनिंग मोड्यूल तैयार किया जाये। (उत्तरदायित्व: राज्य नोडल अधिकारी क्वालिटी अशयोरेंस, IIHMR एवं कन्सलटेंट ट्रेनिंग)
4. कायाकल्प पोर्टल में EODB के वेब पोर्टल से सुझाव लेकर कायाकल्प पोर्टल में अपडेशन किया जाये। क्वालिटी अशयोरेंस, कायाकल्प, आरोग्य ऑनलाईन एवं मेरा अस्पताल से सुझाव लेकर प्रश्नों की नई कॉमन सूची बनायी जाये जिसे स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा प्रत्येक माह भरा जाये। इन रिपोर्ट के आधार पर कायाकल्प पोर्टल पर प्रत्येक माह स्वास्थ्य संस्थानों की रेकिंग दर्शाई जाये तथा अस्पताल एवं स्टॉफ की विशिष्ट उपलब्धि हाईलाईट की जाए। (उत्तरदायित्व: कन्सलटेंट आई.टी. (एम.एम.जे.आर.के.) एवं कार्यक्रम अधिकारी आई.टी. क्वालिटी अशयोरेंस)
5. आगामी 45 दिनों में इस वर्ष कार्यक्रम के संदर्भ में अच्छी प्रगति दिखाने वाले जिला अस्पतालों हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, ब्यावर (अजमेर), बांसवाड़ा एवं झुन्झुनू जिला अस्पतालों की तीन प्रशिक्षित असेसर्स द्वारा तीन दिन की मेनटरिंग विजिट करवाई जायें ताकि इन्हें NQAS सर्टिफिकेशन के लिए भारत सरकार में प्रेषित किया जा सके। उक्त दो-दो जिला अस्पतालों में मिशन निदेशक तथा परियोजना निदेशक एन.एच.एम स्वयं जाकर सुपरविजन करे तथा कार्य गुणवत्ता

सुधारने में मार्गदर्शन प्रदान करें। इस कार्यवाही के दौरान भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार प्रमुख 6 विभागों पर फोकस करें। (उत्तरदायित्व: राज्य नोडल अधिकारी क्वालिटी अश्वोरेंस एवं कन्सलटेंट क्वालिटी अश्वोरेंस)

6. भारत सरकार द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार ODF Block से संबंधित CHC को कायाकल्प सर्टिफिकेशन दिलाने के लिए आवश्यक प्रयास किये जायें। इस हेतु भारत सरकार द्वारा प्राप्त पत्र के अनुसार उक्त प्रत्येक CHC के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में 10 लाख रुपये प्रति CHC सम्मिलित कराये जायें। (उत्तरदायित्व: राज्य नोडल अधिकारी क्वालिटी अश्वोरेंस एवं कन्सलटेंट क्वालिटी अश्वोरेंस)
7. क्वालिटी अश्वोरेंस वांछित परिणाम प्राप्ति के लिए विषय-विशेषज्ञों के साथ अलग से बैठक की जाए ताकि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपयुक्त रीति से मानदण्डों की पालना की जा सके। लेबर रूम चैक लिस्ट के संबंध में विषय विशेषज्ञ डॉ. सुमन मेंहदीरत्ता, प्रोफेसर गार्डनीकोलॉजी, जनाना अस्पताल के साथ बैठक की जाये।
8. क्वालिटी अश्वोरेंस कार्यक्रम की गतिविधियाँ वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही शुरू कर दी जायें ताकि समय रहते वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकें। तदनुसार वार्षिक कलेन्डर संशोधित करते हुए मेनटरिंग विजिट वित्तीय वर्ष के आरम्भ से (माह अप्रैल-मई) शुरू करवाई जायें। इस हेतु मोबिलिटी स्पोर्ट स्टोर एन.एच.एम. से लिया जाये। सभी असेसर्स को जिलों में भेजे जाने की प्रक्रिया समय रहते की जाए ताकि संबंधित अधिकारीगण को नियमित दायित्व के साथ उक्त कार्य के निष्पादन हेतु जिलों में भेजा जा सके।
9. वित्तीय वर्ष 2017-18 में सर्टिफिकेशन के लिए बार-बार मेनटरिंग विजिट (1 से 5 बार तक मेनटरिंग विजिट प्रति चिकित्सा संस्थान) करवाई जायें। उक्त सभी विजिट नये वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त होने वाले मेनटरिंग विजिट के मद से सम्पन्न की जायें।

अन्त में डॉ. रामबाबू जायसवाल, राज्य नोडल अधिकारी क्वालिटी अश्वोरेंस ने प्रमुख शासन सचिव महोदय, मिशन निदेशक महोदय एवं अन्य सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की।



शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक:- F 50 (2) NHM/QA/2016/ 253
प्रतिलिपि :

दिनांक:- 7/4/17

1. विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निदेशक-जन स्वास्थ्य/आरसीएच।
6. निदेशक - SIHFV।

7. समस्त जिला कलेक्टर – District Quality Assurance Committee अध्यक्ष।
8. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
9. अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा।
10. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
11. डॉ. राम बाबू जायसवाल, संयुक्त निदेशक प.क. एवं राज्य नोडल अधिकारी (क्वालिटी एश्योरेंस एवं कायाकल्प), एन.एच.एम।
12. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम।
13. डॉ. ओपी कुल्हरी, परियोजना निदेशक, प.क., एन.एच.एम।
14. डॉ. तरुण चौधरी, परियोजना निदेशक, एम.एच., एन.एच.एम।
15. डॉ. रोमेल सिंह एवं परियोजना निदेशक, सी.एच., एन.एच.एम।
16. समस्त संयुक्त निदेशक जोन।
17. स्टेट डेमोग्राफर, डेमोग्राफर सेल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
18. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।
19. अधीक्षक, फोर्टिस चिकित्सालय, जयपुर।
20. डॉ. आर.के. जेनव, प्रोफेसर एवं हैड, एसएमएस, जयपुर।
21. डॉ. सुमन मेंहदीरता, प्रोफेसर स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनाना अस्पताल, जयपुर।
22. डॉ. पी.आर. सोढ़ानी, प्रोफेसर IIHMR, जयपुर।
23. डॉ. रामलाल मीणा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सवाई माधोपुर।
24. निश्चेतक विशेषज्ञ हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय।
25. डॉ. गौरव, शिशु रोग विशेषज्ञ, जयपुरिया चिकित्सालय।
26. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - District Quality Assurance Committee संयोजक।
27. समस्त अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण - District Quality Assurance Committee सदस्य सचिव
28. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
29. समस्त RCHO।
30. डॉ. मनीष जैन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी चाकसू/डॉ. आकाश सोनी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, आदर्श पीएचसी झिलाई, जिला टोंक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सब डिविजनल चिकित्सालय, कोटपुतली।
31. नर्सिंग अधीक्षक ब्यावर।
32. प्रतिनिधि-यूनिसेफ/यूएनएफपीए।
33. डॉ. ऋचा, सलाहकार, एन.एच.एस.आर.सी. नई दिल्ली (richa.nhsr@gmail.com)।
34. कन्सलटेंट (क्वालिटी एश्योरेंस एवं कायाकल्प), एन.एच.एम।
35. कन्सलटेंट ट्रेनिंग।
36. कन्सलटेंट लिगल।
37. सलाहकार-आईटी सम्बन्धित को ईमेल हेतु।


 राज्य नोडल अधिकारी
 क्वालिटी अश्योरेंस एवं कायाकल्प